

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद  
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

/ एस०ई०(पी०) / ए-154

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट वृत्त, लखनऊ के पत्र सं०-151/पी०सी०/ दि० 29.12.2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :-

- 1- कार्य का विवरण आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के सेक्टर-एच-4 में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित 10 नग 106/162 प्रकार के सेमी फिनिश भवनों का निर्माण कार्य।
- 2- आई०डी०कोड नं० 014143
- 3- अ- प्रशासनिक स्वीकृति का अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं०-4103/एस०ई०(पी०) संदर्भ / ए-154 दिनांक 13.11.2014
- ब- कार्य की लागत रु० 189.58 लाख
- 4- तकनीकी स्वीकृति का लागत रु० 189.58 लाख
- 6- लेखा शीर्षक संख्या 23/152

प्रतिबन्ध

- 1- कार्यों का सम्पादन मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 2- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 3- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- 4- भवनों की स्ट्रक्चरल डिजाइन का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से करके उनकी संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।
- 5- भवन में नींव की खुदाई करते समय यह देख लिया जाये कि मिट्टी की प्रकृति स्वायल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है अथवा नहीं। यदि इसकी गुणवत्ता में कोई अन्तर हो तो स्वायल का पुनः परीक्षण करा लिया जाय तथा नींव की डिजाइन में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर लिये जाय।
- 6- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।
- 7- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्वायल टेस्टिंग अवश्य करायी जाय। तदनुसार ही नींव की डिजाइन करते हुए कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 8- भवनों का निर्माण पंजीकरण के आधार पर कराया जाय।
- 9- उक्त भवनों का निर्माण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि 10 माह में पूर्ण कर लिया जाय।
- 10- प्राक्कलन में ली गयी सामग्री का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।
- 11- प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।

(आर०के०अग्रवाल)  
मुख्य अभियन्ता

पृ०सं०: 4870 / उक्त / ए-154

दिनांक 31.12.2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता(प्र०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता (मु०)/निर्माण खण्ड-21, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता